



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 378 राँची, शुक्रवार,

14 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

18 जून, 2020

आदेश संख्या-5/आरोप-1-34/2018 का.-2884-- श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-583/03), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध श्री अनुज कुमार प्रधान, राज्य समन्वयक, उजाला, झारखण्ड इकाई, चुटिया, राँची द्वारा एक परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद के अनुमंडल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर (चाईबासा) एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के पदावधि के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। साथ ही, देवघर भूमि घोटाला में भी श्री प्रसाद की संलिप्तता का आरोप लगाया गया।

2. उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-2834, दिनांक 27.04.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची एवं उपायुक्त, चाईबासा, राँची तथा देवघर से प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

3. उक्त के आलोक में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-2937/ गो0, दिनांक 03.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रसाद के विरुद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों

की जाँच अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से करायी गयी एवं उनके द्वारा परिवाद पत्र बेनामी/छद्मनामी प्रतिवेदित किया गया है। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-269/स्था0, दिनांक 04.05.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मामले की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर से करायी गई एवं उनके द्वारा भी संबंधित परिवाद पत्र छद्म प्रतिवेदित किया गया। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-465(ii)/स्था0, दिनांक 20.04.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा भी परिवाद पत्र छद्म प्रकृति का प्रतिवेदित किया गया।

4. समीक्षोपरांत, उपायुक्त, चाईबासा, राँची तथा देवघर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा0प्र0से0, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध इस परिवाद पत्र को छद्मनामी मानते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
